प्रेषक,

श्रम आयुक्त,
श्रम भवन, नैनीताल रोड,
हल्द्वानी।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड़ लोक, निर्माण विभाग,
प्रकीर्ण वर्ग, देहरादून।

संख्या : 4619 /छः–153–बी०ओ०सी०डब्ल्यू/उपकर/2016–17 दिनांक : 15/11/2017

विषय : **भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम यात्रा हेतु ऑल वैदर रोड निर्माण में कुल निर्माण लागत का 1% की दर से उपकर जमा किये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया सचिव, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय के पत्र संख्या 3276/छः–153–बी०ओ०सी०डब्ल्यू/उपकर/2016–17 दिनांक 05.08.2017 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम यात्रा हेतु ऑल वैदर रोड निर्माण में कुल निर्माण लागत का 1% की दर से उपकर जमा किये जाने विषयक है। अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में आपके द्वारा कृत कार्यवाही से आज दिनांक तक इस कार्यालय को अवगत नही कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन एवं अन्य संन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य संन्निमार्ण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के तहत समस्त निर्माण कार्यो से निर्माण लागत का 01% की दर से उपकर की वसूली का प्राविधान है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम यात्रा हेतु ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा हैं जिसके सन्दर्भ में अधिनियम के अनुसार निर्माण लागत का 01% की दर से उपकर जमा किया जाना है। अतः ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में कुल निर्माण लागत का 01% की दर से उपकर की धनराशि सचिव, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम सें डिमान्ड–ड्राफ्ट तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, या सचिव, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हल्द्वानी के नाम से ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स हल्द्वानी में खोले गये खाता संख्या 06902191017284 IFSC Code ORBC0100690 में जमा कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराया जाना प्रासंगिक है कि निर्माण लागत पर उपकर देय होने पर तथा जमा न किये जाने पर भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, अधिनियम 1996 की धारा–8 (Interest payable on delay in payment of cess) के अनुसार 02 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह ब्याज सहित वसूले जाने तथा धारा–9 (Penalty for non-payment of cess within the specified time) के अनुसार समान धनराशि का अर्थदण्ड वसूले जाने का प्राविधान है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड़,
हल्द्वानी।